राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	आलोच्य आदेश की दिनांक एवं अनुलग्नक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	3985/2024 श्रद्धा आर्य	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बाडमेर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, Mate Ka Tala, Block Chohtan, जिला बाडमेर।	13.12.2024	07.12.2024 (अनुलग्नक–1)	श्री रामप्रताप सैनी एवं श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक
2.	3986/2024 चंदा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोही। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजारी, ब्लॉक पिंडवाडा, जिला सिरोही।		06.12.2024 (अनुलग्नक–1)	
3.	3988/2024 केदार	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, डीग। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Ghaghwari, ब्लॉक पहाडी, जिला डीग।		06.12.2024 (अनुलग्नक–1)	
4.	3989/2024 विनोद कुमार	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ़। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मालारामपुरा, ब्लॉक संगरिया, जिला हनुमानगढ़।		07.12.2024 (अनुलग्नक–1)	
5.	3993/2024 खिराज सिंह	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, चूरू। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेहरी पुरोहितान, ब्लॉक सरदारशहर, जिला चूरू।		06.12.2024 (अनुलग्नक–1)	
6.	3994/2024 देवकिशन गोचर	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, कोटा। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, निमोडा, ब्लॉक सुल्तानपुर, जिला कोटा।		06.12.2024 (अनुलग्नक–1)	
7.	3995/2024 अमित कुमार शर्मा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Badekhan-I ब्लॉक लालसोट, जिला दौसा।		07.12.2024 (अनुलग्नक–1)	
8.	3997/2024 रमता लाल मीणा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Cheekharu, ब्लॉक बयाना, जिला भरतपुर।		06.12.2024 (अनुलग्नक–1)	
9.	4005/2024 बक्शी लाल जाट	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	16.12.2024	06.12.2024 एवं 10.12.2024	श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

		2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चित्तौडगढ।			

आदेश की दिनांक : 19.12.2024

समक्ष :– **शुचि शर्मा, सदस्य**
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3985/2024 श्रद्धा आर्य बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, Mate ka Tala, ब्लॉक चौहटन, जिला बाडमेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Aarbi Ki Gafan, जिला बाडमेर में किया गया है, जो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में किया गया है। आदेश दिनांक 14.11.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी को बिना किसी कारण के अधिशेष घोषित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान विद्यालय में वरिष्ठ कार्मिक

है तथा रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित है फिर भी उसका स्थानांतरण अधिशेष मानते हुये किया गया है, जो नियम एवं विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, Mate ka Tala, ब्लॉक चौहटन, जिला बाडमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Aarbi Ki Gafan, जिला बाडमेर में किया गया है, जो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में किया गया है। परंतु अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित समस्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 3985/2024 श्रद्धा आर्य बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य